जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1546/2025

कासमा थाना काण्ड संख्या–38/2026

20.07.2026 आवेदकगण नामतः 1. मो0 आलमगीर पिता नासिर उर्फ तेतर मियां, 2. यासमीन खातून उर्फ यासमीन प्रवीण पति मो0 जाफिर, 3. नासरीन खातून पति नासिर उर्फ तेतर मियां, 4. नासिर उर्फ तेतर मियां पिता स्व0 जिनत खाँ एवं 5. सबीना खातून पति मो0 नासिर उर्फ तेतर मियां, सभी निवासी हुसैन कर्मा, थाना कासमा, जिला औरंगाबाद की ओर से कासमा थाना कांड संख्या–38/2026 अंतर्गत धारा 323, 341, 376, 511, 498(A), 34 भा0दं0सं0 में अपनी गिरफ्तारी के आशंका को देखते हुये अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि सूचिका/परिवादिनी की शादी दिनांक–01.05.2024 को मो0 आलमगीर के साथ मुस्लिम रीतिरिवाज के साथ हुई थी। परिवादिनी दिनांक–28.05.2024 की रात्रि में, ससुराल में अपने कमरे में सोई हुई थी कि अभियुक्त यासिर उसके कमरे में घुसकर बलात्कार करने का प्रयास किया। सूचिका ने हल्ला की तो वह भागा। सूचिका के द्वारा सारी बातें अपने ससुराल के सदस्यों को बताया गया तो उसे चुप रहने की सलाह दी गई। पुनः दिनांक–10.06.2024 को यासीर द्वारा उसी घटना की पुनरावृति सूचिका के साथ की गई। सूचिका के विरोध करने के उपरांत उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे तथा कहते थे कि उसे नहीं रखेंगे।

आवेदकगण/अभियुक्तगण ने अपने दाखिल अग्रिम याचिका में यह निवेदन किया गया है कि वे निर्दोष है। आवेदकगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन पत्र के अलावा अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय के समक्ष दाखिल नही किया है और न ही लंबित है। आवेदकगण का अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के द्वारा किसी प्रकार की प्रताड़ना सूचिका के साथ नहीं की गई है तथा सूचिका का पति उसे ससम्मान् रखने को तैयार है। उपरोक्त आवेदकगण में आवेदक मो0 आलमगीर सूचिका का पति है जबकि अन्य अभियुक्तगण उसके ससुराल के परिवारीक सदस्यगण है। आवेदक मो0 आलमगीर के द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली का मामला संख्या–231/2026 दाखिल किया है, जो परिवार न्यायालय, औरंगाबाद में लंबित है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण को किसी भी राशि के बंधपत्र पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए निवेदन किये कि अभियुक्तगण के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप है।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि यह अग्रिम जमानत आवेदन, कासमा थाना कांड संख्या–38/2026 में अंतर्गत धारा 323, 341, 376, 511, 498(A), 34 भा0दं0सं0 में दर्ज की गई प्राथमिकी से सम्बन्धित है। आवेदकगण प्राथमिकी का नामजद अभियुक्तगण है तथा यह मामला परिवादिनी के द्वारा, न्यायालय के समक्ष दाखिल परिवाद पत्र के आलोक में, संबंधित न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के तहत संबंधित थाना के द्वारा दर्ज किया गया है। उपरोक्त आवेदकगण में से आवेदक आलमगीर परिवादिनी का पति है जबकि अन्य आवेदकगण उसके ससुराल के परिवारिक सदस्यगण है। कांड दैनिकी की कंडिका–19 में मो0 मुस्ताक का बयान उल्लेखित है, जिसमें यह वर्णित है कि उभय पक्ष के बीच कई बार पंचायत आयोजित की गई है। पंचायत के समक्ष मुसर्रत द्वारा यासिर के संबंध में कथित घटना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ससुराल पक्ष के लोगों ने मुसर्रत को अपने साथ रखने तथा भविष्य में किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं करने का आश्वासन दिया, जिसके उपरांत मुसर्रत पुनः अपने ससुराल चली गई, किन्तु कुछ दिनों तक साथ रखने के पश्चात् पता चला कि ससुराल पक्ष के लोग पुनः उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, जिसके कारण वह मायके में रह रही है। उक्त अभियुक्त आलमगीर जो सूचिका का पति है, वह सूचिका को ससम्मान् रखने का तथा आवेदकगण भी सूचिका के साथ किसी प्रकार की प्रताड़ना का कथन नहीं किये है।

लगातार

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1546/2025

कासमा थाना काण्ड संख्या–38/2026

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ, आवेदकगण नामतः 1. मो0 आलमगीर, 2. यासमीन खातून उर्फ यासमीन प्रवीण, 3. नासरीन खातून, 4. नासिर उर्फ तेतर मियां एवं 5. सबीना खातून को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव आवेदकगण/अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी की दशा में या आदेश संसूचना के पन्द्रह दिन के अंदर विद्वान न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किये जाने की दशा में (10000X2) दस–दस हजार रूपये के दो विश्वसनीय जमानतदारों एवं उतने ही धनराशि के बंध पत्र निष्पादित किये जाने पर संबंधित विद्वान न्यायालय की संतुष्टि पर धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में दिये गये शर्तो के अधीन रहते हुए उपरोक्त आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि आवेदकगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान पूर्णतः सहयोग करेंगे, किसी भी साक्ष्य एवं साक्षी को प्रभावित नहीं करेंगे, प्राप्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे।

आदेश की तिथि	20.07.2026
आदेश सुरक्षित रखने की तिथि	नही
अपलोड करने की तिथि	21.07.2026
द्वारा अपलोड किया गया	स्टेनोग्राफर

लेखापित

(विश्व विभूति गुप्ता),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति,बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम),औरंगाबाद।
20.07.2026